रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2000/अग्रहायण 23, 1922
No. 621] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2000/AGRAHAYANA 23, 1922

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2000

सा.का.नि. 917(अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10-ड़ की उपधारा (4ख) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड विनियमन, 1991 में,—

(क) विनियमन 2 में खंड (ड़) में, "प्रधान न्यायपीठ" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
"अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ";

(ख) विनियमन 4 में,—

(i) उप-विनियमन (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"(1क) अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अधिनियम की धारा 235 और 237 के अंतर्गत आने वाले विषय तथा अधिनियम के भाग VI के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले विषयों का, जहां तक उनका संबंध दक्षिणी क्षेत्र से है, दो सदस्यों से अन्यून से मिलकर बनने वाले किसी न्यायपीठ द्वारा निपटान किए जाने की व्यवस्था करे (जो अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ के नाम से ज्ञात होगा)";

(ii) उप-विनियमन (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ चेन्नई में होगी परंतु इसकी बैठक दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर की जा सकेगी जहां इसकी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अधिक सुविधाजनक हो।";

(iii) उप-विनियमन (4) में :—

(क) "उप-विनियमन (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "(1क)" कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "प्रादेशिक न्यायपीठ" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"या अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ";

(ग) विनियम 7 में,—

(i) उप-विनियम (2) में "दक्षिणी क्षेत्र" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जिसमें अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ है";

(ii) उप-विनियम (3) में "(दक्षिणी क्षेत्र)", कोष्ठकों और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जिसमें अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ है";

(घ) विनियम 34 के उप-विनियम (3) में "दक्षिणी" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"/अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ";

(ड़) उपाबंध-1 में, क्रम संख्या 3 के सामने "दक्षिणी क्षेत्र" शब्दों के पश्चात् "क्षेत्र" शीर्षक के नीचे निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"/अतिरिक्त प्रधान न्यांयपीठ";

(च) उपाबंध 2 में—

(i) प्ररूप सं. 1 में, "प्रधान न्यायपीठ" शब्दों के पश्चात् पहली पंक्ति में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"/अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ";

(ii) प्ररूप सं. 3 में, पहली पंक्ति में, "प्रधान न्यायपीठ" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"/अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ";

[फा. सं. 1 (10)88-सीएल. वी/सीएलबी]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से

एच.एस. शर्मा, सचिव

पाद टिप्पण :— मूल विनियमन सं. सा.का.नि. 29(अ) तारीख 21-5-1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया।

(1) सा.का.नि. 492(अ) तारीख 14-5-1992

(2) सा.का.नि. 593(अ) तारीख 25-7-1994

(3) सा.का.नि. 394(अ) तारीख 2-5-1995

(4) सा.का.नि. 433(अ) तारीख 1-8-1997

COMPANY LAW BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2000

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (4B) and (6) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby makes the following Regulations further to amend the Company Law Board Regulations, 1991, namely :—

1 (1) These regulations may be called as the Company Law Board (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board Regulations, 1991,—

(a) in regulation 2, in clause (e), after the words "Principal Bench", the following shall be added, namely :—

", Additional Principal Bench",

(b) in regulation 4,—

(i) after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely :—

"(1A) It shall also be lawful for the Chairman to provide that matters falling under sections 235 and 237 of the Act and matters falling under Chapter VI of Part VI of the Act in so far as

they relate to Southern Region shall be dealt with by a Bench consisting of not less than two members (which shall be known as Additional Principal Bench).",

(ii) after sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely —

"(2A) The Additional Principal Bench shall be at Chennai but it may sit at such places in the Southern Region as may be more convenient in exercise of its powers and functions.";

(iii) in sub-regulation (4) —

(a) after the words, brackets and figures "sub-regulation (1)", the brackets, figure and letter ", (1A)", shall be inserted;

(b) in the proviso, after the words "Regional Bench", the following shall be inserted, namely —

"or the Additional Principal Bench",

(c) in regulation 7,—

(i) in sub-regulation (2), after the words "Southern Region", the following shall be inserted, namely :—

"including Additional Principal Bench",

(ii) in sub-regulation (3), after the brackets and words "(Southern Region)", the following shall be inserted, namely :—

"including Additional Principal Bench",

(d) in regulation 34, in sub-regulation (3), after the word "Southern", the following shall be inserted, namely :—

"/Additional Principal Bench",

(e) in Annexure-I, against Sl. No 3, after the words "Southern Region", under the heading "Region", the following shall be inserted, namely :—

"/Additional Principal Bench";

(f) in Annexure-II,—

(i) in Form No. 1, after the words "Principal Bench", in first line, the following shall be inserted, namely :—

"/Additional Principal Bench",

(ii) in Form No. 3 in the first line, after the words "Principal Bench", the following shall be inserted, namely :—

"/Additional Principal Bench".

[F. No. 1(10) 88-CL.V/CLB]

By Order of the Company Law Board

H S SHARMA, Secy.

Foot Note :— Principal Regulation was amended vide No G S.R. 29(E) dated 31-05-1991 and subsequently amended by :—

(1) G.S R. 492(E) dated 14-05-1992

(2) G S R. 593(E) dated 25-07-1994

(3) G.S.R. 394(E) dated 02-05-1995

(4) G.S R. 433(E) dated 01-08-1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054